संख्या-258/एक-10-2023-33(221)/2011

प्रेषक,

प्रभु० एन० सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांक-05/06/2023

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 "मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम" तथा "समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण परियोजना" के फेज-2 को क्रियान्वित किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-992/ रा०आ०प्र०प्रा०/2022-23, दिनांक-14.02.2023 एवं पत्र संख्या-25/ रा०आ०प्र०प्रा०/2022-23, दिनांक- 08.04.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा "मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम तथा समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण परियोजना" के फेज-2 को क्रियान्वित किये जाने हेतु कुल रू० 15.90 करोड़ की धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक-17.05.2023 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णयानुसार "मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम तथा "समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण परियोजना" के फेज-2 को क्रियान्वित किये जाने हेतु, प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत के साथ, "मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम" हेतु रू० 7,50,00,000/- एवं "समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण परियोजना" हेतु 8,40,00,000/- अर्थात **कुल रु० 15,90,00,000/- (पन्द्रह करोड़ नब्बे लाख मात्र) की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि से** निम्नलिखित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ** के नियर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

नियम, शर्तों एवं प्रतिबन्धों-

1. अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराए जाने वाला कार्य राहत आयुक्त संगठन से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कराया जायेगा ।
2. स्वीकृति धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका /बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

3. राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/ एक-11-2013-रा०-11, दिनांक- 04.03.2013 का अनुपाल किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/ अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समपान / दिनांक 31 मार्च, 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

4. जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

5. राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर- 369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

7. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

8. समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की फोटोग्राफी / वीडियोग्राफी कराई जायेगी तथा कार्यक्रम का सम्पूर्ण विवरण शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

9. मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम तथा समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण परियोजना के फेज-1 के अन्तर्गत सम्मिलित विद्यालयों एवं ग्राम पंचायतों में उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम पुनः आयोजित नहीं किये जायेगें।

10. उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एन०डी०आर०एफ०/एस०डी०आर०एफ० से भी सहयोग लिया जायेगा।

11. आपदा से सुरक्षा/बचाव के कार्यक्रमों, आपदा के समय क्या करना है क्या नहीं (Do's and Don'ts) का सोशल मीडिया रेडियो आदि के माध्यम से प्रचार कर लोगो को जागरूक किया जाएगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रूपये रू० 15,90,00,000/- (पन्द्रह करोड़ नब्बे लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-0611 से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पाश फण्ड से सामान्य व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/ 2023/ बी-1-227 / दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by प्रभु नारायण सिंह
Date: 05-06-2023 18:03:36
Reason: Approved

(प्रभु० एन० सिंह)
सचिव।

संख्या-258(1)/एक-10-2023-33 (221)/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम / आडिट प्रथम, प्रयागराज, उ०प्र० ।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
3- विशेष सचिव / नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र०।
4- सेनानायक, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, उ०प्र० ।
5- सेनानायक, राज्य आपदा मोचन बल, उ०प्र०, लखनऊ।
6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
7- कोषाधिकारी / मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(हरि प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-08/06/2023

प्रेषण संख्या:- 258
आवंटन आदेश संख्या:- 001-258
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	159000000 168200000	159000000 168200000
	योग	वर्तमान प्रगामी	159000000 168200000	159000000 168200000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पन्द्रह करोड़ नब्बे लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सोलह करोड़ बयासी लाख

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

Digitally signed by akhilesh pratap singh
Reason: Allotment Completed
Location:Uttar Pradesh
Date:2023.06.08 10:44:48 +0530